

भारत सरकार  
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय  
लोक सभा  
तारांकित प्रश्न संख्या 412  
उत्तर देने की तारीख 23 मार्च, 2020  
सोमवार, 03 चैत्र, 1942 (शक)

प्रदेश में कौशल विकास योजना

\*412. डॉ. संघमित्रा मौर्य:

क्या कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बेरोज़गार युवाओं को केन्द्र-प्रायोजित कौशल विकास योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण एवं रोज़गार प्रदान किया जाना था;

(ख) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश, विशेषकर बदायूं में योजना-वार अब तक कुल कितने बेरोज़गार युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है तथा कितने युवाओं को रोज़गार प्रदान किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर  
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री  
(डॉ. महेंद्रनाथ पाण्डेय)

(क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

**“प्रदेश में कौशल विकास योजना” के बारे में डॉ. संघमित्रा मौर्य द्वारा दिनांक 23.03.2020 को पूछे गए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 412\* के उत्तर के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित विवरण।**

(क) जी हां। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय उत्तर प्रदेश राज्य सहित समूचे देश में बेरोजगार युवाओं को अल्पावधि कौशल विकास प्रशिक्षण (अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) तथा पूर्व शिक्षण मान्यता (□ रपीएल)) प्रदान करने के लिए अपनी महत्वाकांक्षी मांग □ धारित केंद्रीय प्रायोजित स्कीम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) (2016-20) का कार्यान्वयन कर रहा है।

(ख) तथा (ग) पीएमकेवीवाई (2016-20) के एसटीटी तथा □ रपीएल घटक के अंतर्गत, दिनांक 17.01.2020 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य तथा उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में प्रशिक्षित/उन्मुख, प्रमाणित तथा नियोजित उम्मीदवारों की संख्या नीचे दी गई है:

अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) - पीएमकेवीवाई			
राज्य/जिला	प्रशिक्षित/उन्मुख	प्रमाणित	नियोजित
उत्तर प्रदेश	6,33,081	5,10,085	2,46,846
बदायूं जिला	6,323	4,933	3,090
पूर्व शिक्षण मान्यता (□ रपीएल) - पीएमकेवीवाई			
उत्तर प्रदेश	4,32,377	3,53,421	लागू नहीं*
बदायूं जिला	1,534	1,031	

[\*□ रपीएल में नियोजन अनिवार्य नहीं है, क्योंकि यह उम्मीदवारों के पूर्व शिक्षण अनुभव अथवा कौशलों को उन्मुख तथा प्रमाणित करता है।]

\*\*\*\*\*